

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
06/01/26	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-नागद में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करने अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 16 प्लॉट सं०-17 रकबा 2.00 ए० पर श्रीमति प्रेमलता देवी पति कृष्णा सिंह के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा बंदोबस्ती पर्चा अनुमण्डल पदाधिकारी बन्दोबस्ती वाद सं० 4/1998-99 को मौजा नागद थाना सं० 397 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-16 प्लॉट सं०-17 रकबा 2.00 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीमति प्रेमलता देवी पति कृष्णा सिंह के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा नागद के मांग पंजी सं० 77/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2005-06 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी अवैध प्रतित नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को को सदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। <u>2</u> 06/01/26 अंचल अधिकारी, मनातू। <u>2</u> 06/01/26 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

अंचल अधिकारी,

मनातू पलामू।

विषय :- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी केश नं०.....55/2016-17 का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा.....नागाढ़.....में जाकर

राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-.....16.....प्लॉट सं०-.....17.....

कुल रकबा.....2.00 एकर

पर श्री/श्रीमति.....प्रेमलता देवी

पिता/पति.....कृष्णा सिंह.....के द्वारा

जोत-कोड किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं०.....4/98-99.....के अन्तर्गत दिनांक.....30/12/15.....को

मौजा.....नागाढ़.....थाना सं०.....397.....के अंतर्गत उक्त खाता सं०.....16.....प्लॉट सं०.....17.....

रकबा.....2.00 एकर.....की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्री/श्रीमति.....प्रेमलता देवी.....

पिता/पति.....कृष्णा सिंह.....

के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा.....नागाढ़.....

के मांग पंजी II के पेज सं०.....72/1.....पर दर्ज होकर वर्ष.....2005-06.....तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

अनवरुद्ध
कि. मनीष मंड
30/12/2015

कालिका
30/12/2015

विश्वासभाजन

Ritesh
30/12/15
Ice

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या 55/2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम प्रेमलाल देवी पति कृष्णा सिंह
श्री 10 - नागद

एतद् नोटिस द्वारा आपाको सूचित किया जाता है कि मैजा नागद थाना नं० 397
खाता नं० 16 खेसरा नं० 12 रकबा 2.00 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०
पंजी भाग के पृष्ठ 77/1 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त सदिन्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 13/11/25 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं त
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि : 03-11-25

मुहर

स्थान :

3/11/25
अंचल अधिकारी
मनातू पलाय

अंचल अधिकारी

का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-

55/16-मनू

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- 1121/6 थाना- खाता संख्या- 16 प्लॉट संख्या- 17
रकबा- 2.00 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 77 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 7/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- प्रेम लता देवी, 10/10 कृष्णा-सिंह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- साठ - नागद

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नागद	392	16	17	2.00
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....1..... पृष्ठ सं०-77 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1998-99
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- श्रीमती लता देवी
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- SDO सा (सांख्यिक)
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- नहीं
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - कानून के अन्तर्गत 4/98-99
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	3548858	1.5.05	2005-06

23/10/06
2005-06
2005-06
2005-06

श की
तम सं०
आर तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कागजातों के बाग में
टिप्पणी, तारीख
सहित

3

~~अ.प्र.वै.व. - उपलब्धित किया गया।~~
~~प्रतिवादी चय - अनुपस्थित।~~
~~अतः पुनः द्वितीय शीट पर~~
~~निर्णय कट, जिस से तारीख 21.10.48~~
~~की गई।~~

~~प्रमुख।~~